22 ज़िलों के पुलिस थानों में ई-एफआईआर को कैबिनेट की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

14 सितंबर, 2021 को **राज्य कैबिनेट समन्वय विभाग** की सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने **22 ज़िलों में ई-एफआईआर पुलिस स्टेशन स्थापित** करने को मंज़ूरी दे दी है, इससे लोग थानों का दौरा किये बिना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- महिला एवं बाल अपराध, चोरी, सेंधमारी एवं नाबालिगों की गुमशुदगी की शिकायतों से संबंधित विशेष प्रकृति के मामले बिना थाने गए दर्ज कराए जा सकते हैं।
- ऐसे मामलों से संबंधित **प्राथमिकी नागरिक पोर्टल या मोबाइल ऐप** के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी। इसके लिये रामगढ़ और खूंटी को छोड़कर सभी 22 ज़िलों में ई-एफआईआर थाने स्थापित किये जाएंगे।
- सरकार के प्रस्ताव के अनुसार ई-एफआईआर पुलिस थाने प्रत्येक ज़िले में पहले से कार्यरत कंपोजिट कंट्रोल रूम में कार्य करेंगे।
- केवल डीएसपी या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को ही ई-एफआईआर थाने के प्रभारी की अतिरिक्त कमान दी जाएगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cabinet-approved-e-firs-at-police-stations-in-22-districts